

प्रेषक,

बाबू राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेन्द्र,
ग्रीष्मि विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: ॥ मार्च, 2006

विषय:- अवधि इण्टरनेशनल स्कूल आशापुर दर्शननगर फैजाबाद को सीठीबीएस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध मे।

घोषणा,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि उपत्ति संधर्भित विद्यालय को सीठीबीएस०इ० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्षों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का संघर्ष-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति मे शिक्षा निवेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदावाले बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तराध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न क्रमाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता कौसिल जाफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इनज्युटिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तराध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणीतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमति वेतनमानों तथा अन्य भास्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सजावता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- (7) राष्ट्र सरकार इस समय-समय पर जो भी आवेदा निर्णय किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों वे राष्ट्र सरकार के पूर्वानुभोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिवंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यह फिसी समय वह पाया जाता है कि संस्था इस उक्त प्रतिवंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथितता घरती जाती है तो राष्ट्र सरकार इस प्रत्यक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीप,

(आशु राम)
अनु सचिव।

पुस्तक- 776(1)/15-7-2006 तदनिलंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ यह वाक्यक कार्यालयी हेतु ग्रेवित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- यण्डलीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आगंता भारतीय विद्यालय उठप्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, अवध इंटरनेशनल स्कूल आशापुर वर्मननगर फैजाबाद ।
- 6- नार्ड बुक ।

जाला है,

(आशु राम)
अनु सचिव।